न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–28/2018–19

श्रीमती रूपश्री देवी..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
19.07.18	(see below)	

अपीलार्थी रूपश्री देवी, पति–श्री अवधेश कुमार चौधरी, निवास ग्राम–स्टेट बैंक बुण्डू, एन०एच०–33 के पास, डाकघर–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–84 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–11/08/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	804	4575	18 डीसमील

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को विक्रेता श्री अयोध्या नाथ साहु, पिता–स्व० बैजनाथ साहु, ग्राम–कांची, पो०–कांची, थाना–बुण्डू, जिला राँची से दिनांक–19/04/2017 ई० को निबंधन पट्टा द्वारा क्रय कर उक्त भूमि पर शांतिपर्ण दखल कब्जा में रहते हुए अंचल कार्यालय, बुण्डू में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया जो अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा दिनांक–11/08/2017 को अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन को आधार मानकर अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–84 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–11/08/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार विक्रेता पंजी।। रैयत स्वम है। जिन्होंने अपने हिस्से की भूमि बिक्री किया है। उक्त भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है। आवेदित भूमि आदिवासी खाते एवं गैरमजरूआ खाते की नहीं है। बंटवारा कागजात वाँक्षित है जो प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से वांछित बंटवारा कागजात प्राप्त कर अपीलार्थी के नाम से आवेदित भूमि का दाखिल खारिज करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 19/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

(हस्ताक्षर) 19/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।